



राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(महात्मा गांधी मनरेगा, अनुभाग-3)



क्रमांक.एफ.1(2)ग्रावि/नरेगा/2022-23/पत्राचार/रा.का.01844

दिनांक

06 SEP 2023

आदेश

राजस्थान में नए जिलों के सृजन/गठन से पूर्व मनरेगा योजना में पुराने जिलों में जिला कलक्टर द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक का कार्य किया जा रहा था, जो अभी भी निरंतर किया जा रहा है।

नवीन जिलों की सीमाओं के निर्धारण उपरांत उनके अधीनस्थ जिला परिषदों की सीमाओं/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों के निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जिला कार्यक्रम समन्वयक/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक के क्षेत्राधिकार के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि आगामी आदेश तक नवीन जिलों के सृजन से पूर्व की स्थिति अनुसार पुराने जिले की सीमा में स्थित पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों में कराए जा रहे मनरेगा कार्यों के संबंध में दायित्वों का निर्वहन पुराने जिले के जिला कार्यक्रम समन्वयक/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा पूर्वानुसार संपादित किया जावेगा।

विभाग द्वारा सक्षम आदेशों/निर्देशों के जारी होने तक क्षेत्राधिकार के आधार पर मनरेगा कार्यों के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जावे।

(अभय कुमार)

अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंचायती राज विभाग।

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सहायक, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ।
3. निजी सचिव, शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग ।
4. निजी सचिव आयुक्त ईजीएस ।
5. जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस समस्त राजस्थान ।
6. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान ।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, समस्त को पालनार्थ ।
8. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग/ईजीएस ।
9. ACP, EGS को website पर upload हेतु ।
10. रक्षित पत्रावली ।

Document certified by ABHAY KUMAR  
<VACOJI3358@ZOEY.COM>.

Digitally Signed by Abhay Kumar  
Designation: Additional Chief  
Secretary To Government  
Date :24-08-2023 11:43:55

RajKaj Ref No. : 4575350